9

9.1 अपने कार्मिकों का संपोषण और सहयोग

9.2 जोखिम प्रबंधन और प्रभावी आंतरिक नियंत्रण

9.3 पारदर्शिता और सतर्कता का सुदृढ़ीकरण

9.4 संधारणीय डिजिटल आधारभूत संरचना का निर्माण

9.5 डेटा प्रबंधन और सूचना प्रणालियों का आधुनिकीकरण

9.6 संसदीय समिति के दौरे और संसदीय प्रश्न

9.7 राजभाषा संवर्धन

9.8 विपणन और संचार रणनीति के बीच तालमेल

9.9 कार्य परिवेश में सुधार का संवर्धन

9.10 भारत के ग्रामीण विकास के लिए एक सक्रिय नाबार्ड

कार्मिक—प्रक्रियाएँ और नीतियाँ

देश के प्रमुख विकास बैंक के रूप में नाबार्ड की यात्रा में मानव पूँजी में निवेश करना हमेशा से एक रणनीतिक प्राथमिकता रही है, क्योंकि परिवर्तनकारी विकास कार्यक्रमों तथा नीतियों की योजना और कार्यान्वयन में इसका विशेश महत्व रहा है. पिछले कुछ वर्षों में हमने गतिशील और समर्पित कार्यबल तैयार किया है जो ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. निरंतर विकास की यह भावना हमें सक्रिय बनाए रखती है और ग्रामीण समुदायों की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने कर्मियों को लगातार नया कौशल प्रदान करने में समर्थ बनाती है.

9.1 अपने कार्मिकों का संपोषण और सहयोग

मानव संसाधन किसी भी संस्था का आधार है और उसके विकास और सफलता को गति देता है. नाबार्ड में प्रभावी मानव संसाधन प्रबंधन ग्रामीण विकास और आर्थिक उन्नति के हमारे मिशन को प्राप्त करने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है. कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार किए गए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रयास नियमित रूप से किए जाते हैं ताकि उन्हें भूमिका-विशिष्ट चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जा सके. नाबार्ड अपने कार्मिकों को परिचालन के केंद्र में रखता है जिससे कार्यबल की दक्षता, अनुकूलन क्षमता और दूरदर्शिता अधिक सुदृढ़ होती हैं और कार्यबल ग्रामीण भारत में स्थायी विकासात्मक प्रभाव लाने में सक्षम होता है.

9.1.1 स्टाफ संघटन

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, नाबार्ड के विभिन्न संवर्गों में कुल 3,163 कर्मचारी कार्यरत हैं (चित्र 9.1). भारत सरकार के आरक्षण मानदंडों के अनुरूप पैनल वर्ष 2025 के लिए हाल ही में सम्पन्न पदोन्नति प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए 256 अधिकारियों का पैनल तैयार किया गया. इसके अलावा, ग्रुप 'सी' के 23 कर्मचारियों को ग्रुप 'बी' में सहायक रखवाल के रूप में पदोन्नत किया गया. सीधी भर्ती के माध्यम से 237 ग्रेड 'ए' अधिकारियों और 63 कार्यालय परिचारकों ने संगठन में कार्यग्रहण किया. नाबार्ड को समान अवसर प्रदान करने वाला नियोक्ता होने पर गर्व है, जिसमें महिला कर्मचारियों की संख्या 769 है जो कार्यबल का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है. संस्था अपने सभी कार्मिकों के लिए निष्पक्ष और समान करियर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

चित्र 9.1: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार स्टाफ संघटन

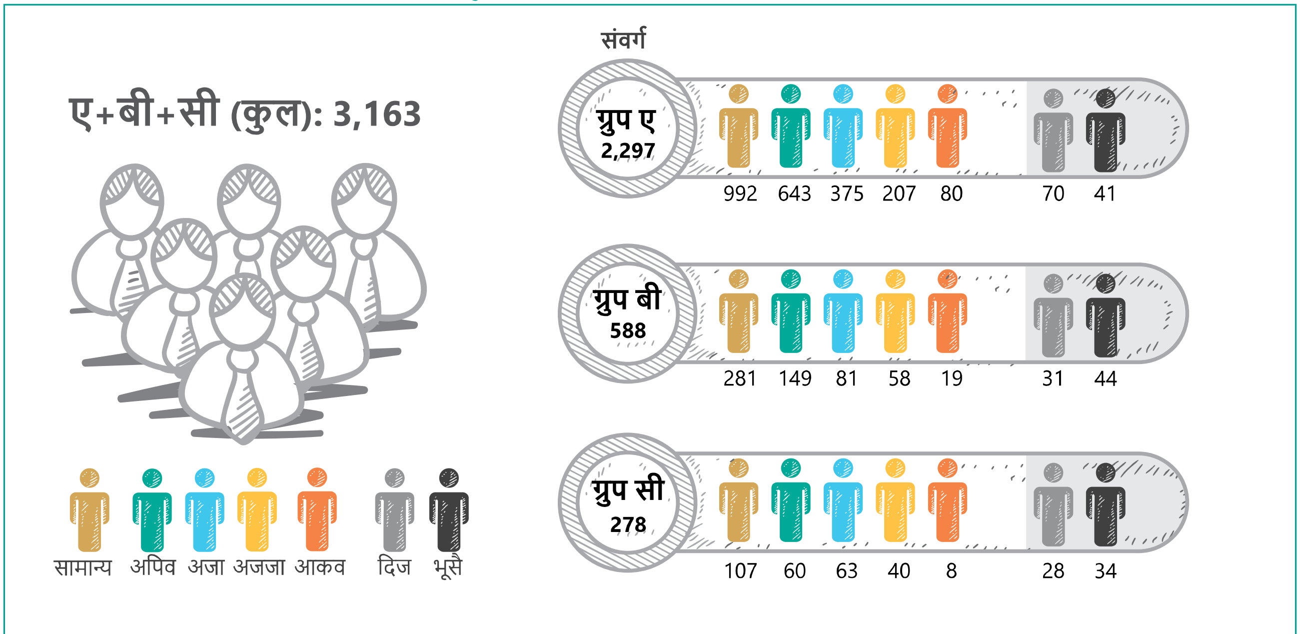

अजा = अनुसूचित जाति, अजजा = अनुसूचित जनजाति, अपिव = अन्य पिछड़ा वर्ग, आकव = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूसै = भूतपूर्व सैनिक, दिज = दिव्यांग जन.

9.1.2 असीमित संभावनाएँ: सामर्थ्य और क्षमता विकास

निरंतर ज्ञानार्जन और व्यावसायिकता के विकास के लिए नाबार्ड की प्रतिबद्धता बनी हुई है. राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय (एनबीएससी), लखनऊ और लखनऊ, कोलकाता तथा मंगलूरु में स्थित बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड) इन क्षमता निर्माण प्रयासों का नेतृत्व करते हैं. वित्तीय वर्ष 2025 में एनबीएससी ने 105 कार्यक्रम आयोजित किए, जिनसे 2,673 अधिकारी और कर्मचारी लाभान्वित हुए. इन प्रयासों में ई-लर्निंग मॉड्यूल, प्रकरण अध्ययन और एक्सपोज़र दौरे शामिल थे, जिससे ज्ञानार्जन के लिए एक गतिशील और आकर्षक परिवेश बना. इसके अलावा, ग्राहक संस्थाओं के लिए समग्रतामूलक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए.

'प्रोत्साहन अध्ययन योजना' के तहत 106 कर्मचारियों ने शीर्ष संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित व्यावसायिक और दूरस्थ शिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया, जिससे कर्मचारियों की निरंतर प्रगति का समर्थन करने के प्रति नाबार्ड के समर्पण की पुन: पुष्टि हुई.

चित्र 9.2: वित्तीय वर्ष 2025 में प्रशिक्षण संबंधी उपलब्धियाँ

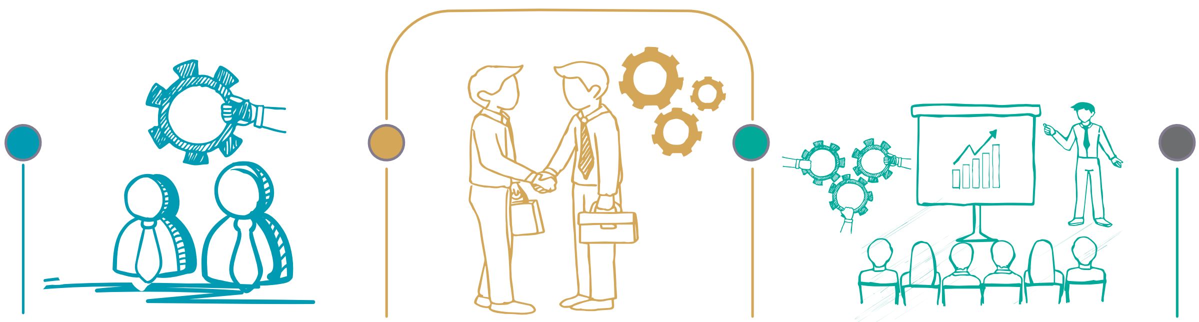

नाबार्ड के स्टाफ के लिए

प्रशिक्षण संस्थान/ विवरण	कार्यक्रम	प्रतिभागी
एनबीएससी, लखनऊ	105	2,673
बर्ड, लखनऊ	05	218
बर्ड, मंगलूरु	04	108
बर्ड, कोलकाता	01	08
विदेशी एक्सपोजर कार्यक्रम	52	104
कुल	167	3,111

ग्राहक संस्थाओं के लिए

प्रशिक्षण संस्थान/ विवरण	कार्यक्रम	प्रतिभागी
बर्ड, लखनऊ	241	7,340
बर्ड, मंगलूरु	93	3,111
बर्ड, कोलकाता	79	1,995
कुल	413	12,446

नाबार्ड के स्टाफ के लिए अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण संस्थान/ विवरण	कार्यक्रम	प्रतिभागी
पहले से तैयार क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किए गए अधिकारी	116	364
भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण	02	1,961
पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण	05	112
कुल	123	2,437

प्रशिक्षण संस्थान/ विवरण | कार्यक्रम | प्रतिभागी

बर्ड = बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान, एनबीएससी = राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय.

नोट: प्रतिभागी और कार्यक्रम परस्पर अनन्य नहीं हैं. एक प्रतिभागी ने एक से अधिक कार्यक्रमों में भाग लिया हो सकता है.

9.1.3 स्टाफ कल्याण की पहलें

1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के ऐसे ग्रुप 'बी' कर्मचारियों के लिए एक विशेष पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जो ग्रेड 'ए' में पदोन्नति के लिए पात्र थे. छह महीने का प्रशिक्षण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो तरीकों से दिया गया.
2. नाबार्ड ने समूह बीमा योजनाओं के माध्यम से अपने कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना जारी रखा जिसमें बकाया आवास ऋण के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएँ भी शामिल हैं.

3. कर्मचारियों को समूह सावधि बीमा पॉलिसी के तहत सुरक्षा देना भी जारी रहा, जिससे कार्यबल के लिए जीवन बीमा सुरक्षा सुनिश्चित हुई.

9.1.4 मानव संसाधन संबंधी अन्य पहलें

औद्योगिक संबंध

नाबार्ड में प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण और सहयोगपूर्ण रहे, जिससे एक आदर्श कार्यस्थल के रूप में संस्था की प्रतिष्ठा और सुदृढ़ हुई. अखिल भारतीय नाबार्ड अधिकारी संघ, अखिल भारतीय नाबार्ड कर्मचारी संघ, नाबार्ड प्रोग्रेसिव एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन और अखिल भारतीय नाबार्ड सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ के साथ नियमित बातचीत की गई, जिससे पूरे संगठन में आपसी सम्मान और रचनात्मक संवाद का वातावरण बना रहा.[1]

लैंगिक संवेदनशीलता

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) (पॉश) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नाबार्ड की केंद्रीय और क्षेत्रीय शिकायत समितियों ने शिकायतों का समाधान करना जारी रखा है. इसके अतिरिक्त शी-बॉक्स (SHe-Box) पोर्टल के सहयोग के लिए विभिन्न कार्यालयों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. यह पोर्टल भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए महिलाओं को सिंगल-विंडो पहुँच प्रदान करना है.

लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रधान कार्यालय और प्रशिक्षण सस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए. इनमें पॉश पर समर्पित सत्र शामिल हैं, जिनका उद्देश्य नए भर्ती हुए अधिकारियों और सहायकों सहित सभी कर्मचारियों को इस मुद्दे पर संवेदनशील बनाना है.

9.2 जोखिम प्रबंधन और प्रभावी आंतरिक नियंत्रण

9.2.1 जोखिम प्रबंधन संबंधी पहलें

जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के 21 सितंबर 2023 के मास्टर निर्देशों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को 1 अप्रैल 2024 से बेसल III विनियामक ढाँचे में संक्रमण करना था. नाबार्ड ने नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों में अपेक्षित परिवर्तन लागू करते हुए इस संक्रमण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. नाबार्ड ने निर्धारित समयसीमा के भीतर बेसल III के सभी तीन स्तंभों – पूँजी पर्याप्तता; आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया की तैयारी सहित पर्यवेक्षकीय समीक्षा प्रक्रिया; और बाजार प्रकटीकरण - के अंतर्गत विहित अपेक्षाओं को अंगीकार किया है और उनका अनुपालन किया है.

9.2.2 गतिविधि विश्लेषण

ऋण जोखिम

50 ग्राहकों के लिए एक समग्रतामूलक जोखिम पुनर्मूल्यांकन का कार्य किया गया, जिसका परिणाम हुआ ₹69,360 करोड़ की पुनर्वित्त सहायता. इसी प्रकार अन्य 3 ग्राहकों के लिए इस पुनर्मूल्यांकन का परिणाम हुआ ₹2,697 करोड़ की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता. एन्श्योर 2.0 पहल के तहत जोखिम प्रबंधन समिति और चूक पूर्वानुमान और अनुप्रवर्तन समिति की बैठकों के लिए नई विवरणियाँ विकसित की गई. ऋण और बाजार जोखिम के लिए आंतरिक जोखिम रेटिंग (आईआरआर) मॉडल का सत्यापन पूरा हो गया, और क्रिसिल लिमिटेड के सहयोग से 15 नए आईआरआर मॉडल विकसित किए गए.

परिचालन जोखिम

चैनल भागीदारों के लिए सर्वसमावेशी आंतरिक श्रेणीकरण टूल विकसित किए गए, और तदनुरूप परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए. प्रमुख जोखिम संकेतकों और उनकी न्यूनतम सीमा की समीक्षा की गई और उन्हें अद्यतन किया गया. सभी विभागाध्यक्षों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों

बॉक्स 9.1: ‘रिस्क मैटर्स!’ - जोखिम जागरूकता माह फरवरी 2025

जोखिम प्रबंधन विभाग ने ‘रिस्क मैटर्स!’ थीम के अंतर्गत नाबार्ड कर्मचारियों के बीच जोखिम को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से महीने भर की गतिविधियों की एक शृंखला आयोजित की. इस पहल में दैनिक टेक्स्ट मेसेज, बैंक के इंट्रानेट पर द्विभाषी प्रेरक सूक्ति, थीम पर आधारित डेस्कटॉप स्क्रीन, दैनिक और विशेष प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएँ (पुरस्कार सहित) तथा जोखिम प्रबंधन के प्रमुख पहलुओं पर विशेषज्ञ व्याख्यान माला को शामिल किया गया.

मुख्य अतिथि श्री पी. के. गुप्ता, पूर्व प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक तथा नाबार्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के गैर-शासकीय विशेषज्ञ सदस्य ने समापन समारोह में प्रतिभागियों को संबोधित किया.

बाएँ से दाएँ: श्री जी. एस. रावत, उप प्रबंध निदेशक, सम्माननीय अतिथि श्री पी. के. गुप्ता, श्री आर. इनिगो अरुल सेल्वन, मुख्य महाप्रबंधक, जोखिम प्रबंधन विभाग; और डॉ. ए. के. सूद, उप प्रबंध निदेशक.

के साथ व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन - व्यवसाय प्रभाव विश्लेषण का कार्य पूरा किया गया. मानव संसाधन प्रबंध विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा परिसर, सुरक्षा एवं अधिप्राप्ति विभाग द्वारा सभी कार्यालयों में जोखिम आकलन किया गया.

बाजार जोखिम

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ब्याज दर का निर्धारण किया गया तथा आरंभिक पब्लिक ऑफरिंग के लिए आंतरिक स्कोरिंग का एक मॉडल विकसित किया गया. बेहतर क्रेडिट गुणवत्ता और पोर्टफोलियो विविधीकरण सुनिश्चित करने के लिए डेट म्यूचुअल फंड के मूल्यांकन मानदंड संशोधित किए गए. वित्तीय वर्ष 2026 के लिए ब्रोकर समीक्षा और पैनल तैयार करने के काम पूरे किए गए.

सॉफ्टवेयर विकास

जोखिम और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन वेब एप्लिकेशन विकसित कर लिया गया है. परिचालन जोखिम प्रबंधन संरचना का डिजिटलीकरण शुरू हो गया है, और घटना तथा हानि डेटा प्रबंधन संरचना को शुरू करने की योजना है. आस्ति-देयता प्रबंधन सॉफ्टवेयर के तीन मॉड्यूल लाइव हो चुके हैं, और अंतिम मॉड्यूल अपने विकास के प्रगत चरण में है. बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रणाली को नया रूप दिया गया है, जिसके अंतर्गत 22 में से 21 मॉड्यूल साइन ऑफ किए जा चुके हैं.

वित्तीय वर्ष 2025 में मैसूर, देहरादून, पुरी, इंदौर और हैदराबाद में बेसल III, दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन (एसएएम) नीति, मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) तथा परिचालन और ऋण जोखिम पहलुओं से संबंधित विषयों पर क्षेत्रीय जोखिम जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित की गईं.

9.2.3 आंतरिक निरीक्षण

वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड ने व्यापक जोखिम-आधारित लेखापरीक्षा के माध्यम से आंतरिक परिचालन को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए. इन लेखापरीक्षाओं में 25 क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रधान कार्यालय के 20 विभागों, 2 प्रशिक्षण संस्थानों और 7 सहायक कंपनियों को शामिल किया गया.

आई-सॉफ्ट मॉड्यूल (प्रका/ क्षेका) का कार्यान्वयन एक प्रमुख उपलब्धि है जो 29 जुलाई 2024 को लाइव हुआ. यह जोखिम-आधारित लेखापरीक्षा टूल सभी लेखांकन इकाइयों का एक विस्तृत जोखिम प्रोफ़ाइल विकसित करने के लिए तैयार किया गया है. यह एक जोखिम मैट्रिक्स ढाँचे पर काम करता है, निहित व्यावसायिक जोखिम के प्रमुख मापदंडों का आकलन करता है और प्रभावी अनुप्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रणों को कार्यान्वित करता है.

आई-सॉफ्ट के अलावा 4 फरवरी 2025 को सूचना प्रणाली ऑडिट मॉड्यूल और 24 फरवरी 2025 को समवर्ती लेखापरीक्षा कक्ष मॉड्यूल की शुरुआत की गई. सभी लेखांकन इकाइयों में 'अपने ग्राहक को जानो' से संबंधित केंद्रीय डेटा के पंजीकरण को शामिल कर डिजिटलीकरण के प्रयासों को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया गया.

निरीक्षण विभाग ने अभिशासन और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित कीं (तालिका 9.1). इसके अतिरिक्त, 24 उच्च-मूल्य ऋण खातों (प्रत्येक खाता जिसमें बकाया ऋण राशि ₹100 करोड़ से अधिक हो) के संबंध में समग्र ऋण लेखापरीक्षा की गई.

तालिका 9.1: वित्तीय वर्ष 2025 में आयोजित प्रमुख निगरानी और जवाबदेही बैठकें

क्र. सं.	*बैठक का प्रकार*	*आयोजित बैठकों की संख्या*
1	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति	6
2	धोखाधड़ी अनुप्रवर्तन समिति	3
3	केंद्रीय स्टाफ जवाबदेही समिति	8
4	धोखाधड़ी के मामलों के अनुप्रवर्तन और अनुवर्तन हेतु बोर्ड की विशेष समिति	1 (प्रथम)

9.3 पारदर्शिता और सतर्कता का सुदृढ़ीकरण

9.3.1 सतर्कता संरचना और गतिविधियाँ

सतर्कता प्रशासन नाबार्ड में प्रबंधन कार्य का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य सत्यनिष्ठा, व्यावसायिकता, उत्पादकता और नैतिक आचरण को बढ़ावा देना है. नियंत्रण, अनुप्रवर्तन और पर्यवेक्षण कार्यों की देखरेख के अलावा सतर्कता व्यवस्था सक्रिय रूप से स्वच्छ और पारदर्शी व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देती है. प्रधान कार्यालय, मुंबई में स्थित केंद्रीय सतर्कता विभाग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करता है, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के परामर्श से भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है.

सतर्कता कार्य के तीन पहलुओं - निवारक, दंडात्मक और सहभागितामूलक - में से नाबार्ड निवारक और सहभागितामूलक दृष्टिकोणों पर अधिक बल देता है. पिछले अनुभवों और घटनाओं से सीख लेते हुए संस्था नियमित रूप से प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार करती है. इन परिष्कारों से आंतरिक दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में सहायता मिलती है और निवारक सतर्कता उपाय और सुदृढ़ बनते हैं.

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान सतर्कता-संबंधी प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं:

- आठ निवारक सतर्कता दौरे;
- 15 सीटीई-प्रकार के निरीक्षण;[1]
- 11 निरीक्षण रिपोर्टों की संवीक्षा;

- प्राप्त शिकायतों का समाधान;
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड आदि को विभिन्न विवरणियाँ प्रस्तुत करना;
- सतर्कता संबंधी मामलों पर क्षमता निर्माण सत्र, जिनमें नवनियुक्त सीधी भर्ती अधिकारियों के परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान और जिला विकास प्रबंधकों की द्विमासिक संरचित बैठकों के दौरान सीवीओ द्वारा उन्हें संबोधित करना शामिल है; तथा
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का आयोजन.

16 अगस्त 2024 से 15 नवंबर 2024 तक आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के रूप में प्रधान कार्यालय ने क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों और सहायक कंपनियों के साथ मिलकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए. एनबीएससी, लखनऊ ने बहुत बड़े स्तर पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम चलाए और देश भर में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नैतिकता और अभिशासन, आचार नियमावली, सांगठनिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं, साइबर स्वच्छता और सुरक्षा, तथा अधिप्राप्ति नीतियों पर पाँच पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित किए.

सतर्कता जागरूकता अभियान के दौरान सीवीओ ने पर्यवेक्षण विभाग, नाबार्ड के अधिकारियों को सतर्कता-संबंधी मामलों पर संबोधित किया, और उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया जिनमें शामिल हैं:

- एनबीएससी, लखनऊ में डीपीएसपी के अधिकारियों के लिए आयोजित संवेदनशीलता कार्यशाला, और
- गुजरात क्षेत्रीय कार्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का समापन समारोह.

बॉक्स 9.2: सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024

28 अक्तूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक नाबार्ड में "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" थीम के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया. समारोह के भाग के रूप में पूरे संगठन के स्टाफ सदस्यों ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली. नाबार्ड के मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय में अध्यक्ष ने 28 अक्तूबर 2024 को कर्मचारियों को शपथ दिलाई.

सतर्कता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रधान कार्यालय के 950 से अधिक कर्मचारियों ने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के चारों ओर वॉकाथन किया. सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनमें एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, आशुभाषण प्रतियोगिता, गायन और नारा प्रतियोगिता तथा स्टाफ सदस्यों के बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता शामिल हैं.

नाबार्ड के इंट्रानेट के माध्यम से थीम-आधारित संदेश प्रसारित किए गए और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एसएमएस अलर्ट भेजे गए. इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थाओं में संवेदनशीलता बैठकों के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार विरोधी जागरूकता पहल की गई.

28 अक्तूबर 2024 को नाबार्ड के अध्यक्ष सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाते हुए, नाबार्ड प्रधान कार्यालय, मुंबई.

25 अक्तूबर 2024 को नाबार्ड के अध्यक्ष नाबार्ड प्रधान कार्यालय, मुंबई में सतर्कता जागरूकता सप्ताह वॉकाथन को हरी झंडी दिखाते हुए; नाबार्ड प्रधान कार्यालय, मुंबई.

आम जनता, और विशेष रूप से हमारे हितधारकों के बीच सतर्कता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों के सहयोग से पूरे भारत में विद्यालयों/ महाविद्यालयों में 199 ग्राम सभाएँ, 64 संगोष्ठियाँ/ कार्यशालाएँ, और 33 अन्य आउटरीच गतिविधियाँ आयोजित की गई.

9.3.2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

नाबार्ड पारदर्शिता और वैधानिक अनुपालन के लिए दृढ़ता के साथ प्रतिबद्ध है, और सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करता है. वरिष्ठ अधिकारियों को प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है. प्रधान कार्यालय, मुंबई में डॉ. मिलिंद आर. भिरुड, मुख्य महाप्रबंधक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, जबकि श्रीमती सुशीला चिंतला, मुख्य महाप्रबंधक को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया.

मार्च 2025 को समाप्त अवधि में नाबार्ड ने 2,025 आरटीआई आवेदन और 774 अपीलें प्राप्त कीं और उनका निपटान किया, जिनमें क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रस्तुत और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को अग्रेषित अपीलें शामिल हैं. सभी अनुरोधों का निपटान अधिनियम के प्रावधानों में निर्धारित समयसीमा के भीतर किया गया.

वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड को छह शिकायत निवारण आवेदन प्राप्त हुए. शिकायत निवारण समिति ने वर्ष के दौरान तीन बैठकें आयोजित कीं, जिनमें नौ मामलों का सफलतापूर्वक निपटान किया गया, जिनमें पिछले वर्ष के तीन लंबित मामले भी शामिल थे.

9.4 संधारणीय डिजिटल आधारभूत संरचना का निर्माण

9.4.1 उद्यम स्थापत्य

नाबार्ड ने बड़े पैमाने पर अपनाए जाने योग्य, सुरक्षित और उपयोगकर्ता-केंद्रित परिचालन मॉडल स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी उद्यम स्थापत्य (ईए) यात्रा शुरू की है. यह पहल संगठन की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना और अनुप्रयोगों/ एप्लिकेशनों को इष्टतम बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे सभी हितधारकों को एक निर्बाध और एकीकृत अनुभव उपलब्ध कराया जा सके. इस संरचना के संचालन हेतु एक ईए बोर्ड का गठन किया गया है और नाबार्ड के निदेशक मंडल द्वारा ईए नीति को अनुमोदित किया गया है. वित्तीय वर्ष 2026 तक इसके पूर्ण कार्यान्वयन का लक्ष्य रखा गया है और यह अपेक्षा है कि इससे प्रणाली सुदृढ़ होगी, संरचनाओं के अनावश्यक हो जाने की स्थिति में कमी आएगी, परिचालन दक्षता बढ़ेगी और आईटी संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो पाएगा.

9.4.2 आधारभूत संरचना और सुरक्षा

नाबार्ड ने अपनी डिजिटल आधारभूत संरचना को बढ़ाने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई पहलें की हैं. संगठन साइबर वातावरण में उभरती जोखिमों के प्रभावी समाधान के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों की तैनाती कर रहा है.

1. **ऑफिस 365 का नवीनीकरण**: ईमेल डेटा हानि की रोकथाम, मोबाइल उपकरण प्रबंधन और बहु-कारक अधिप्रमाणन जैसी उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ-साथ एक व्यापक डेटा बैकअप समाधान के कार्यान्वयन के साथ अपग्रेड किया गया.
2. **बोर्ड बैठक समाधान**: बोर्डपीएसी की शुरूआत जो वन-टच वीडियो कॉन्फरेन्सिंग और स्वचालित कार्यप्रवाह के माध्यम से बोर्ड की बैठक को सुव्यवस्थित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है.
3. **डेटा सेंटर और नेटवर्क अपग्रेड**: इस अपग्रेड में उन्नत अंतिम बिन्दु सुरक्षा, एक वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल और एक साइबर फ़ोरेंसिक लेबोरेटरी शामिल हैं. क्लाउड के साथ एकीकृत वेब प्रॉक्सी और वीएलएएन पृथक्करण के माध्यम से नेटवर्क कार्यनिष्पादन को बढ़ाया गया है.
4. **आईएसओ 27001 प्रमाणन**: आईएसओ 27001 प्रमाणन प्राप्त होने से नाबार्ड की सूचना सुरक्षा साख बढ़ी है (बॉक्स 9.3).
5. **ऑनलाइन ब्राण्ड मॉनिटरिंग**: विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर नाबार्ड की उपस्थिति की तत्समय जानकारी के लिए एक ब्राण्ड मॉनिटरिंग समाधान भी नियोजित किया गया है.

6. **क्लाउड-आधारित सुरक्षा समाधान**: साइबर अनुकूलन और सुरक्षा अभिशासन को और सुदृढ़ करने के लिए क्लाउड-आधारित डीडीओएस सुरक्षा, प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट और डेटाबेस एक्सेस मैनेजमेंट का कार्यान्वयन.[2]
7. **बैकअप आधारभूत संरचना**: नाबार्ड ने डिजिटल डेटा के सुरक्षित बैकअप और उसे फिर से प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत और कुशल प्रणाली स्थापित कर अपनी बैकअप आधारभूत संरचना का बड़े स्तर पर उन्नयन किया है.

बॉक्स 9.3: नाबार्ड को आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन प्रदत्त

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नाबार्ड को आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन प्रदान किया गया, जिसका औपचारिक अनावरण दिनांक 1 जनवरी 2025 को अध्यक्ष महोदय ने किया. सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) के लिए यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक 'सूचना की गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता' को बनाए रखने के लिए नाबार्ड की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है. यह प्रमाणन एलक्यूमस आईएसओक्यूएआर द्वारा किए गए कठोर ऑडिट के पश्चात् दिया गया, जिसने नाबार्ड की सुदृढ़ सुरक्षा पद्धतियों, प्रभावी जोखिम प्रबंधन और लागू कानूनी और विनियामकीय अपेक्षाओं के अनुपालन की पुष्टि की.

1 जनवरी 2025 को श्री शाजी के. वी., अध्यक्ष, नाबार्ड द्वारा नाबार्ड के आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन का पर्दापण.

9.4.3 एप्लिकेशन/ सॉफ्टवेयर विकास

नाबार्ड के डिजिटल रूपांतरण के लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग देने के लिए एप्लिकेशन और सॉफ्टवेयर विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है.

1. **मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एम्पावर)**: केंद्रीकृत एचआरएमएस, एम्पावर, अब टाइल-आधारित नेविगेशन के साथ एक मोबाइल-रिस्पोन्सिव इंटरफेस पेश करता है, जो सेवारत और सेवानिवृत्त दोनो प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकताएँ पूरी करता है. यह मानव संसाधन डेटा प्रबंधन, वेतन और लाभ-व्यवस्थापन सहित व्यापक कार्य-प्रक्रियाओं को सहयोग प्रदान करता है.
2. **नाबार्ड सॉफ्टवेयर फैक्टरी (एनएसएफ़)**: जून 2024 में लॉन्च किया गया एनएसएफ़ त्वरित एप्लिकेशन विकास के लिए मेंडिक्स प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाता है, जिससे डिजिटल डिलीवरी में काफी तेज़ी आती है. विकसित किए गए प्रमुख एप्लिकेशनों में शामिल हैं:
   क. डीडीएमकनेक्ट: जिला विकास प्रबंधकों के दैनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करता है; और
   ख. नैबपरीक्षण: पुनर्वित्त परिचालनों में आस्ति सत्यापन की सुविधा प्रदान करता है.
3. **केंद्रीकृत ऋण प्रबंधन और लेखांकन प्रणाली (सीएलमास)**: वित्तीय वर्ष 2025 में ऋण और अनुदान की पूरी परिचालन-अवधि का प्रबंधन करने वाली इस प्रणाली के प्रौद्योगिकी स्टैक को उन्नत किया गया.
4. **एंटरप्राइज़ कंटेन्ट मैनेजमेंट (ईसीएम) समाधान**: ईसीएम प्लेटफ़ॉर्म ने वित्तीय वर्ष 2025 में 97,761 मामलों को तैयार कर और उनके अनुमोदन को सहयोग प्रदान कर कार्यप्रवाह के स्वचालन को बढ़ाया है. नया जोड़ा गया इनलाइन एडिटर फ़ीचर ईसीएम इंटरफ़ेस के भीतर कुशल नोट फ़ॉर्मेटिंग को सक्षम बनाता है.
5. **डिजीडाक**: वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान इस डिजिटल पत्राचार प्लेटफ़ॉर्म ने 34,369 आवक और 97,512 जावक प्रविष्टियाँ दर्ज कीं. आउटलुक के साथ एकीकरण और जिला विकास प्रबंधकों की ऑनबोर्डिंग ने संचार प्रबंधन को और बेहतर बनाया है, जो परिचालनात्मक उत्कृष्टता के प्रति नाबार्ड की प्रतिबद्धता दर्शाता है.

9.5 डेटा प्रबंधन और सूचना प्रणालियों का आधुनिकीकरण

9.5.1 नैबडेटा (नाबार्ड डेटा वेयरहाउस)

एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस - नैबडेटा - का आरंभिक विकास 31 दिसंबर 2024 को पूरा हुआ. डैशबोर्ड और रिपोर्ट सहित वांछित परिणामों का पहला सेट अंतिम रूप दिए जा चुके व्यवसाय अपेक्षा दस्तावेज़ (बीआरडी) के अनुसार उपयोगकर्ताओं के एक्सेस के लिए प्रकाशित किया गया था. नैबडेटा को एक स्व-सेवा पोर्टल के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से एक नया व्यवसाय आसूचना (बीआई) सॉफ़्टवेयर - इंटेलिकस का अधिप्रापण किया गया, और विद्यमान डैशबोर्ड और रिपोर्ट के पुनर्निर्माण के लिए एक विक्रेता को ऑनबोर्ड किया गया.

9.5.2 एन्श्योर 2.0

पुराने एन्शोयर 1.0 की जगह एक नया एन्श्योर पोर्टल विकसित किया गया और इसे वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान शुरू किया गया. यह पोर्टल अब पूरी तरह काम कर रहा है, जिसमें पूर्ण रिटर्न फाइलिंग, रिपोर्टिंग, एप्लिकेशन इंटीग्रेशन और अन्य क्षमताएँ उपलब्ध हैं. इसके अलावा वर्ष के दौरान संभाव्यता-युक्त ऋण योजनाएँ (पीएलपी) और स्टेट फोकस पेपर (एसएफ़पी) को डिजिटाइज किया गया.

9.5.3 एंगेज प्लेटफॉर्म

वित्तीय वर्ष 2025 में अनुदानों की संपूर्ण परिचालन-अवधि के प्रबंधन हेतु एक नया प्लेटफ़ॉर्म- एंगेज (उद्यम अनुदान प्रबंधन) शुरू किया गया. इस पहल से नाबार्ड के सहयोग से बनाई गई परियोजनाओं और आस्तियों को स्थानिक रूप से दर्शाने के लिए अक्षांश और देशांतर डेटा का उपयोग करके एक जीआईएस डैशबोर्ड[3] भी विकसित किया गया.

9.5.4 एग्रीस्टैक

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान अपनी परियोजना प्रबंधन इकाई टीम के साथ समन्वय से एग्रीस्टैक पहल के तहत तीन रजिस्ट्रियाँ – वित्तमान रजिस्ट्री, इकाई लागत रजिस्ट्री, तथा सहकारी बैंक और शाखा रजिस्ट्री - विकसित की गई थीं. इन रजिस्ट्रियों को वार्षिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा तथा सभी हितधारकों के लिए विभिन्न उत्पादों और सेवाओं में उपयोग हेतु सुलभ बनाया जाएगा.

9.5.5 डेटा अभिशासन और प्रबंधन समाधान

सभी एप्लिकेशनों में अभिशासन प्रथाओं की पूरी शृंखला को लागू करने के लिए डेटा अभिशासन और प्रबंधन समाधान की अधिप्राप्ति हेतु आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जा रहे हैं. यह सॉफ्टवेयर मौजूदा नीति के अनुसार तकनीकी दस्तावेज, डेटा वर्गीकरण, गुणवत्ता आश्वासन, मॉडल तैयार करने और संबंधित गतिविधियों के सृजन और नियमित अद्यतनीकरण की सुविधा प्रदान करेगा. अधिप्राप्ति और कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2026 के लिए निर्धारित है.

9.5.6 आरएजी-आधारित जेनेरेटिव एआई सोल्युशन

वित्तीय वर्ष 2025 में उत्पादकता, सूचना तक पहुँच और विश्लेषण क्षमता में सुधार के लिए आरएजी-आधारित जेनेरेटिव एआई समाधान की अवधारणा तैयार की गई थी.[4] आंतरिक अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2026 के लिए कार्यान्वयन की योजना बनाई गई है. इस पहल से संगठन में डेटा तक निर्बाध पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि और जानकारी पर आधारित निर्णय लेने में सहयोग मिलने की अपेक्षा है.

9.5.7 डीडीएमकनेक्ट ऐप

जिला विकास प्रबंधकों को उनकी दैनंदिन जिम्मेदारियों को निभाने में सहायता देने के लिए अक्तूबर 2024 में डीडीएमकनेक्ट ऐप शुरू किया गया और नवंबर 2024 में यह पूरी तरह से परिचालन में आ गया. एक एकीकृत और सहज बोध से संचालित उपकरण के रूप में डिज़ाइन किए गए इस ऐप में प्रबंध सूचना प्रणाली, व्यवसाय और अनुदान परियोजनाएँ, ज्ञान केंद्र, ब्रीफ़केस और कार्यों की सूची आदि मॉड्यूल शामिल हैं.[5]

9.5.8 वित्तीय वर्ष 2026 के लिए आगे की राह

वित्तीय वर्ष 2026 में नैबडेटा के उन्नत डैशबोर्ड और हितधारक-विशिष्ट रिपोर्ट के साथ एक पूर्णत: स्व-सेवा पोर्टल के रूप में विकसित होने की अपेक्षा है. पीएलपी/ एसएएफ़पी के डिजिटलीकरण को आकर्षक प्रणाली-सृजित रिपोर्ट के साथ बेहतर बनाया जाएगा, जिसमें उपयोगकर्ता की प्रतिसूचना को जगह दी जाएगी. एंगेज पोर्टल सभी अनुदान योजनाओं का पूर्ण एकीकरण करेगा, जबकि बेहतर जानकारी के लिए जीआईएस डैशबोर्ड को अतिरिक्त लेयर और सुविधाओं के साथ उन्नत किया जाएगा.

9.6 संसदीय समिति के दौरे और संसदीय प्रश्न

वित्तीय वर्ष 2025 में विभिन्न संसदीय समितियों ने नाबार्ड सहित कई वित्तीय संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श किया (तालिका 9.2). वर्ष के दौरान नाबार्ड ने अनुप्रवर्तन सूचना प्रणाली, किसान क्रेडिट कार्ड, सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, जलवायु निधि, नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित किसान कल्याण योजनाओं, फसल ऋण, कृषि विपणन आधारभूत संरचना योजना, कृषक उत्पादक संगठन, सूक्ष्मवित्त, डेयरी क्षेत्र, किसान ऋणग्रस्तता और महिला उद्यमिता योजनाओं सहित विभिन्न विषयों से संबंधित 311 संसदीय प्रश्नों का उत्तर दिया..

तालिका 9.2: वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड से संबंधित संसदीय समितियों के दौरे

क्र. सं.	*संसदीय समिति*	*तिथि*	*नोडल संस्था*	*दौरे का स्थान*
1	वित्त पर स्थायी समिति का "कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को सशक्त करने तथा उसे ऋण उपलब्ध कराने में नाबार्ड के कार्यनिष्पादन की समीक्षा" विषय पर अध्ययन दौरा (2024-25)	13 नवंबर 2024	भारतीय स्टेट बैंक	मुंबई
2	विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति का "कुछ पण्य बोर्डों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन और समीक्षा" विषय पर अध्ययन दौरा	07 जनवरी 2025	भारतीय स्टेट बैंक	मुंबई
3	ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर स्थायी समिति का "ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका" विषय पर अध्ययन दौरा	18 जनवरी 2025	केनरा बैंक	बेंगलूरू
4	कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसदीय स्थायी समिति का "देश में कृषि ऋण प्रणाली की कार्यात्मकता" विषय पर अध्ययन दौरा	18 जनवरी 2025	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (आतिथ्य नाबार्ड द्वारा किया गया)	मुंबई
5	संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति का दौरा जिन्होंने नई दिल्ली और उसके आसपास स्थित विभिन्न कार्यालयों का राजभाषा के प्रयोग से संबंधित निरीक्षण किया	27 दिसंबर 2024	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	नई दिल्ली

9.7 राजभाषा संवर्धन

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नाबार्ड ने राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना जारी रखा. वार्षिक कार्यक्रम 2024-25 में उल्लिखित लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयास किए गए, जिसमें कर्मचारियों के लिए हिंदी कक्षाओं का आयोजन तथा हिंदी पत्राचार और आईटी उपकरणों पर प्रशिक्षण सत्र शामिल हैं. संसदीय राजभाषा समिति ने नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय का सफल निरीक्षण किया.

राजभाषा के हीरक जयंती वर्ष के रूप में नाबार्ड ने एक स्मारक लोगो डिज़ाइन किया तथा अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता, एक नई हिंदी पुस्तिका के विमोचन और राजभाषा कैलेंडर के अनावरण जैसे कई प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन किया. अन्य उल्लेखनीय कार्यक्रमों में मुंशी प्रेमचंद की 144वीं जयंती के अवसर पर कथा वाचन प्रतियोगिता, मासिक भाषा-आधारित प्रतियोगिताओं की एक शृंखला और भारत मंडपम, नई दिल्ली में हिंदी दिवस प्रदर्शनी में सहभागिता शामिल हैं.

राजभाषा प्रभाग सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों और प्रधान कार्यालय में 'भारतीय भाषा संस्कृति प्रतियोगिता' भी आयोजित कर रहा है. इस अभियान के तहत हर माह अलग-अलग भारतीय भाषाओं में प्रतियोगिता आयोजित की जाती है. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान मलयालम और पंजाबी में प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई.

9.8 विपणन और संचार रणनीति के बीच तालमेल

वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड ने एक केंद्रित और बहुआयामी विपणन और संचार रणनीति के माध्यम से अपनी ब्राण्ड स्थिति और अपने वैचारिक नेतृत्व को सुदृढ़ किया. प्रमुख पहलों में रणनीतिक मीडिया आउटरीच, विषयगत विज्ञापन, विशेष रूप से तैयार की गई सोशल मीडिया सामग्री और प्रभावी पारस्परिक सहयोग शामिल रहे.

नाबार्ड ने एक रणनीतिक मीडिया योजना के माध्यम से 'नाबार्ड डेयरी ऋण योजना' - एक ऐसी योजना जो अस्तित्व में नहीं है - के तहत किसानों को सीधे ऋण देने का दावा करने वाली फ़र्ज़ी ख़बरों की बढ़ती संख्या का मुक़ाबला किया. नाबार्ड के बयान को 70 से अधिक प्रकाशनों में प्रकाशित किया गया, जिनमें प्रमुख वित्तीय पत्रिकाएँ, मुख्य समाचार पत्र, ऑनलाइन पोर्टल और देश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख क्षेत्रीय प्रकाशनों के विभिन्न संस्करण शामिल थे.

इस विज्ञप्ति को भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया ने कवर किया और द इकोनॉमिक टाइम्स जैसे प्रमुख वित्तीय प्रकाशनों में भी इसे प्रकाशित किया गया. अभियान से पहले झूठी सूचना फैलाने वाले कवरेज के 40 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जो अभियान के बाद काफ़ी कम हो गए.

ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन एक प्रमुख आकर्षण रहा, जो ग्रामीण भारत के सम्मान में डीएफ़एस और नाबार्ड की संयुक्त पहल थी. इस पहल में व्यापक ब्रांडिंग और प्रचार प्रयासों ने पूरक का काम किया जिससे नाबार्ड की सार्वजनिक दृश्यता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई. आउटडोर, प्रिंट और प्रसारण प्लेटफॉर्मों पर रणनीतिक मीडिया अभियानों ने प्रमुख प्रकाशनों में नाबार्ड का कवरेज सुनिश्चित किया और डिजिटल प्लेटफार्मों पर नाबार्ड की पर्याप्त सहभागिता दिखाई दी.

अपने संदेश को और अधिक व्यापक बनाने के लिए नाबार्ड ने हिस्ट्री टीवी18 के साथ मिलकर *नाबार्ड'स रूरल रेनासाँ* (नाबार्ड का ग्रामीण पुनर्जागरण) नामक वृत्तचित्र शृंखला का निर्माण किया, जिसमें परिवर्तनकारी स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) आंदोलन को दिखाया गया. इसके अलावा, नाबार्ड ने द *हिंदू एग्री कमोडिटी समिट 2025* और *आउटलुक सस्टेनेबिलिटी समिट 2025* जैसे प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने वैचारिक नेतृत्व को सुदृढ़ किया और संधारणीय ग्रामीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया.

नाबार्ड की सोशल मीडिया उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसके तहत एक लिंक्डइन अकाउंट जोड़ा गया और नाबार्ड के एक्स (X) (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को ब्लू-टिक के साथ सत्यापित किया गया. इन प्लेटफार्मों ने संगठन की ब्रांड दृश्यता और विविध हितधारकों के साथ इसकी सहभागिता दोनों को बढ़ाया है.

इन अग्रसक्रिय मीडिया सहभागिताओं के परिणामस्वरूप नाबार्ड को अपने वरिष्ठ नेतृत्व के लिए 15 से अधिक साक्षात्कार प्राप्त हुए और प्रमुख प्रकाशनों में लेख लिखे गए, जिससे ग्रामीण वित्त और विकास के क्षेत्र में वैचारिक नेतृत्वकर्ता के रूप में नाबार्ड की स्थिति और मजबूत हुई.

9.9 कार्य परिवेश में सुधार का संवर्धन

नाबार्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएँ देने और आवासीय सुविधा बढ़ाने के लिए सिक्किम, त्रिपुरा, झारखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और गोवा में क्षेत्रीय कार्यालय भवनों और स्टाफ आवास के निर्माण की पहल की. प्रधान कार्यालय में कार्यस्थल सुधारों के अंतर्गत चेहरे की पहचान पर आधारित एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की स्थापना, एक समुन्नत ईपीएबीएक्स सिस्टम,[6] तथा पुनर्निर्मित एयर-कंडीशनिंग आधारभूत संरचना शामिल हैं. ये सभी कार्य नाबार्ड के कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, कुशल और आरामदायक कार्य परिवेश को बढ़ावा देने की नाबार्ड की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं.

9.10 भारत के ग्रामीण विकास के लिए एक सक्रिय नाबार्ड

9.10.1 प्रगति 1.0 के माध्यम से परिवर्तन सुनिश्चित करना

1 अप्रैल 2023 को नाबार्ड ने अपनी पंचवर्षीय रणनीतिक योजना, 'प्रगति 1.0' शुरू की, जिसका लक्ष्य 7 व्यापक दृष्टिकोणों और 86 रणनीतियों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2028 तक 386 महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल करना है. यह योजना समावेशी वृद्धि, संधारणीय विकास, ग्रामीण ऋण संस्थाओं की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि और महत्वपूर्ण कारोबार विस्तार पर केंद्रित है. मार्च 2025 में एक मध्यावधि समीक्षा से पता चला कि 181 महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की जा चुकी हैं (तालिका 9.3). प्रगति 1.0 को सहयोग प्रदान करने के लिए नाबार्ड ने अपने पुन:स्थापन कार्य के रूप में 'उन्नति' की शुरुआत की, और रणनीति सलाहकार के रूप में बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (भारत) के साथ अपनी सहभागिता की अवधि का विस्तार किया.[7]

तालिका 9.3: प्रगति 1.0 की प्रमुख उपलब्धियाँ

चरण I (जुलाई 2023 – जून 2024):	*चरण II (जुलाई 2024 – जून 2025):*
• आरआईएएस 2.0: राजस्थान, छत्तीसगढ़, और केरल में स्थित परियोजनाओं हेतु ₹3,187 करोड़ की मंजूरी. • एफ़पीओ एक्सेलेरेटर: महाराष्ट्र और कर्नाटक में कई कृषक उत्पादक संगठनों (एफ़पीओ) को सहायता दी गई. • एसएसई: सहकारी बैंकों को प्रतिवर्ष लगभग ₹1,500 करोड़ की बचत करने में सहायता प्रदान करने हेतु स्थापित. • बटाईदार किसानों के लिए पी-सीबीडीसी: आंध्र प्रदेश और ओडिशा में प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई, जिससे 700 से अधिक किसान लाभान्वित हुए. 31 मार्च 2025 तक पी-सीबीडीसी का उपयोग करने वाले प्रथम ऋण उपयोग मामलों के तहत ₹4.6 करोड़ की राशि मंजूर की गई. इससे अर्जित अनुभव के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026 के लिए इसके विस्तार की योजना बनाई गई है. • एमडीबी के साथ साझेदारी: जलवायु अनुकूलन और हरित वित्तपोषण पर विश्व बैंक, एडीबी और जेआईसीए के साथ सहयोग किया गया. • जलवायु वित्तपोषण: हरित वर्गीकरण व्यवस्था की शुरुआत की गई तथा गोवा सरकार तथा विश्व बैंक के साथ साझेदारी में जलवायु वित्त सुविधा शुरू की गई. नाबार्ड का लक्ष्य अपनी आस्तियों के 5% को जलवायु पहलों से जोड़ना है, जिसका एक बड़ा भाग एमडीबी की भागीदारी के माध्यम से मिलने की अपेक्षा है.	• पैक्स एक्सेलेरेटर: 30 पैक्स की गतिविधियों में विविधता लाने के लिए प्रायोगिक परियोजना, जिसमें 10,000 पैक्स तक इसे विस्तारित करने का रोडमैप शामिल है. • क्लस्टर वित्तपोषण: आंध्र प्रदेश में झींगा किसानों और अक्वा एक्सचेंज के लिए प्रायोगिक परियोजना. नैबकिसान ने झींगा किसानों को कार्यशील पूँजी देने के लिए किनारा कैपिटल को ₹10 करोड़ और अक्वा एक्सचेंज के विस्तार हेतु ₹4 करोड़ मंजूर किए. अक्वा एक्सचेंज के साथ एक सहमति ज्ञापन प्रगत चरण में है, जिसमें झींगा फार्म स्कोरकार्ड का विकास भी शामिल है. • कृषीतर रोजगार: 'बिजनेस इन ए बॉक्स' मॉडल के माध्यम से ग्रामीण एसएमई को बढ़ावा दिया गया. • अर्थ समिट 2025: एम्पावरिंग एग्रीकल्चर, रुरल टेक एंड ह्यूमैनिटी (अर्थ) शिखर सम्मेलन 2025 में नाबार्ड भागीदार होगा, जो एक ग्रामीण नवोन्मेष तकनीक उत्सव है जिसका विषय है "वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवोन्मेष को सशक्त बनाना". इसमें दो क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन और एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाने हैं. • सूक्ष्मवित्त नीति: नई सूक्ष्मवित्त नीति का मसौदा तैयार करने और एमएफ़आई एक्सेलरेटर की स्थापना का कार्य चल रहा है.

एडीबी = एशियाई विकास बैंक; सीबीडीसी = सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी; एफ़पीओ = कृषक उत्पादक संगठन; जेआईसीए = जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी; एमडीबी = बहुपक्षीय विकास बैंक; एमएफ़आई = सूक्ष्मवित्त संस्था; एमओयू = सहमति ज्ञापन; नैबकिसान = कृषि-व्यवसाय वित्तपोषण हेतु नाबार्ड की सहायक कंपनी; एनएसडीसी = राष्ट्रीय कौशल विकास निगम; पी-सीबीडीसी = प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से बटाईदार किसानों हेतु प्रयोजनबद्ध ऋण; पैक्स = प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ; आरआईएएस = राज्य सरकारों हेतु ग्रामीण आधारभूत संरचना सहयोग; एसएमई = लघु और मध्यम उद्यम; एसएसई = शेयर्ड सर्विसेज़ एंटिटी.

9.10.2 शेयर्ड सर्विसेज़ एंटिटी: ग्रामीण सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन

नाबार्ड, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) के लिए केंद्रीकृत तकनीकी, परिचालन और सहायता सेवाएँ प्रदान करने हेतु सहकार सारथी प्राइवेट लिमिटेड (एसएसपीएल) नामक एक शेयर्ड सर्विसेस एंटिटी (एसएसई) की स्थापना का नेतृत्व कर रहा है. इस पहल का उद्देश्य सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाना, लागत कम करना और उभरती हुई तकनीकों को तेज़ी से अपनाना है. एसएसई की स्थापना के लिए विनियामकीय अनुमोदन माँगा गया था जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नाबार्ड को दे दिया गया है.

एसएसपीएल तीन प्राथमिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा- प्रौद्योगिकी, परिचालन और सहायक कार्य. इसका उद्देश्य किफ़ायती अर्थव्यवस्थाओं को सुविधाजनक बनाना, दक्षता में सुधार करना और आरसीबी की डिजिटल क्षमताओं को सुदृढ़ करना है. एसएसपीएल की ₹1,000 करोड़ की अधिकृत पूँजी में नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम और आरसीबी समान रूप से अंशदान करेंगे. अनुमानित वार्षिक लागत में पाँचवे वर्ष से ₹1,500 करोड़ से अधिक बचत होने का अनुमान है, बशर्ते सभी आरसीबी सहभागी हों और वे इसकी सेवाओं का उपयोग करें.

नाबार्ड ने चुने हुए आरसीबी के व्यवसाय/ आईटी प्रमुखों के लिए एक रणनीतिक कार्यशाला आयोजित की, जिससे उनके पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद मुद्दों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके और उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संभावित डिजिटल समाधानों का पता लगाया जा सके. इसके बाद राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की गई ताकि कार्यान्वयन के रोडमैप को और बेहतर बनाया जा सके.

यह परिवर्तनकारी पहल सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करने के भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है. केंद्रीकृत डिजिटल आधारभूत संरचना और मानकीकृत प्रक्रियाओं का लाभ उठाकर एसएसपीएल आरसीबी के परिचालन परिदृश्य को बदल देगा, जिससे वे अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल बनेंगे तथा भविष्य के लिए तैयार हो जाएँगे.

9.10.3 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024

नाबार्ड ने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर "वित्त के अगले दशक के लिए ब्लूप्रिंट" विषय पर आयोजित भारत के सबसे बड़े वार्षिक फिनटेक सम्मेलन - ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में भाग लिया.

नाबार्ड का प्रतिनिधित्व करने में कई विभाग और सहायक कंपनियाँ भी भागीदार रहीं, जिन्होंने सीमित सहभागिता वाले सत्रों, पैनल चर्चाओं, और एक हैकाथन में भाग लिया. इस कार्यक्रम ने नाबार्ड के अधिकारियों और वरिष्ठ प्रबंधन को अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, विचारों का आदान-प्रदान करने तथा फिनटेक परिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों से जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराया.

नोट

1. सीवीसी के मुख्य तकनीकी परीक्षक (सीटीई) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और प्रारूपों का पालन करना.
2. डीडीओएस सुरक्षा, वितरित सेवा अस्वीकार (डीडीओएस) हमलों से बचाव के लिए डिज़ाइन किए गए उपकरणों और रणनीतियों के एक समूह को संदर्भित करती है.
3. जीआईएस = भौगोलिक सूचना प्रणाली.
4. आरएजी = रिट्रीवल ऑगमेंटेड जेनरेशन, एआई = कृत्रिम बुद्धिमत्ता.
5. एमआईएस = प्रबंध सूचना प्रणाली.
6. ईपीएबीएक्स = इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज.
7. अधिक जानकारी के लिए कृपया नाबार्ड (2024), बॉक्स 9.4, अध्याय 9 'कार्मिक - प्रक्रियाएँ और नीतियाँ', वार्षिक रिपोर्ट 2023-24, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई. p. 135. https://www.nabard.org/nabard-annual-report-2023-24.aspx.